



सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

माननीय प्रबन्ध परिषद की 57वीं (विशेष) बैठक दिनांक 05 अक्टूबर, 2024 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 57वीं (विशेष) बैठक दिनांक 05 अक्टूबर, 2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् रही है:-

1. डा० के०के० सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2. श्री राजीव कुमार सिंह, मा० विधायक	सदस्य
3. श्री रफीक अंसारी, मा० विधायक	सदस्य
4. श्री टी०के० शीबू, विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ। (ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया)	सदस्य
5. डा० सीमा जग्गी, सहायक महानिदेशक, आई०सी०ए०आर०, नई दिल्ली। सदस्य	
6. डा० सुधांशु सिंह, कृषि वैज्ञानिक (ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया)	
7. श्री देवव्रत त्यागी, प्रगतिशील कृषक	सदस्य
8. श्री अतुल कुमार सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ। (अपर मुख्य सचिव वित्त, उ०प्र० के प्रतिनिधि)	सदस्य
9. डा० मोनिका सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ मण्डल, मेरठ (अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ०प्र० के प्रतिनिधि)	सदस्य
10. डा० राजेन्द्र कुमार शर्मा, अपर निदेशक, पशुपालन, मेरठ मण्डल, मेरठ (निदेशक पशुपालन, उ०प्र० के प्रतिनिधि)	सदस्य
11. श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी, वित्त नियन्त्रक	सचिव

मा० प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष एवं वित्त नियन्त्रक, सदस्य सचिव द्वारा विश्वविद्यालय की मा० प्रबन्ध परिषद के मा० सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

पंकज कुमार चतुर्वेदी

वित्त नियन्त्रक

स०प्र० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

प्रस्ताव संख्या 57.1 : तकनीकी महाविद्यालय एवं कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महाविद्यालय के पदों पर हुये साक्षात्कार के लिफाफे खोले जाने की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव।

उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में वित्त नियन्त्रक द्वारा कार्यसूची प्रस्तुत की गयी। उसके उपरांत माननीय कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या II/2023, III/2023 एवं IV/2023 में विज्ञापित तकनीकी महाविद्यालय एवं कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महाविद्यालय के प्राध्यापक, सह प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक के पदों की चयन प्रक्रिया का विस्तृत प्रस्तुतीकरण मात्र सदस्यों के सम्मुख किया गया। साथ ही मात्र सदस्यों की चयन सम्बन्धी जिज्ञासाओं का भी उत्तर दिया गया। चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण (Step-I) का पालन करते हुए द्वितीय चरण (Step-II) हेतु गठित संवीक्षा समिति द्वारा सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार किये गये। सभी पदों के लिफाफे खोलने हेतु मात्र सदस्यों से अनुमति चाही गयी। प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रशासन, लखनऊ के प्रतिनिधि के रूप में ऑनलाईन रूप में बैठक में प्रतिभाग करते हुए विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रशासन, लखनऊ के अन्यंत्र सभी मात्र सदस्यों ने लिफाफे खोले जाने हेतु सहमति दी। विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रशासन, लखनऊ ने असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान द्वारा निम्नलिखित बिन्दु रिकार्ड करने के लिए कहा गया हैः—

1. बैठक से 15 दिन पूर्व ही सदस्यों को एजेण्डा प्राप्त हो जाना चाहिए।
2. एजेण्डा नोट विस्तृत रूप में रखा जाये।
3. चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर क्यों किया गया? ऐपीआई स्कोर का चयन में ध्यान नहीं रखा गया।

उपरोक्त बिन्दुओं पर मात्र कुलपति जी द्वारा यह कहा गया कि चूंकि एजेण्डा मात्र प्रबन्ध परिषद की 56वीं बैठक में सम्मिलित किया गया था तो सभी सदस्यों की जानकारी इस विषय के बारे में पहले से ही है। इस बारे में विस्तृत एजेण्डा मात्र सदस्यों की संज्ञान में रखा गया है तथा यह भी जानकारी दी गयी कि सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया माननीय राजभवन के दिशा-निर्देशों द्वारा अपनायी गयी है। जिसमें ऐपीआई स्कोर/लिखित परीक्षा के अंक सिर्फ शार्ट-लिस्टिंग के लिए

होते हैं। उसके उपरान्त चयन सहायक प्राध्यापक हेतु टीचिंग स्किल टेस्ट तथा डॉमेन नॉलेज टेस्ट के आधार पर किया जाता है। अन्त में प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के प्रतिनिधि द्वारा व्यक्त की गयी असहमति के दृष्टिगत बैठक के अध्यक्ष/मा0 कुलपति जी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि माननीय राजभवन एवं शासन के दिशा-निर्देशों का संज्ञान लेते हुए प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के लिफाफे खोलने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण एजेण्डे को मा0 प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में रखा जाना उपयुक्त होगा। जिसपर बैठक में उपस्थित सभी मा0 सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति जी को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया एवं संदर्भित एजेण्डे को समयान्तर्गत नियमानुसार आगामी बैठक आयोजित कराते हुए लिफाफे खोलने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/कुलसचिव)

वित्त नियन्त्रक द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

✓
(पंकज कुमार कुमारस्वामी)
पंकज कुमार कुमारस्वामी

वित्त नियन्त्रक/वित्त विभाग प्रबन्ध परिषद
संवयोप कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

अनुमोदित

१०/२४
(डा० के०के० सिंह)

कुलपति/अध्यक्ष, मा० प्रबन्ध परिषद

संवयोप कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110